



कोटेशन सूचना(वाणिज्य शाखा)

संख्या-वा./भो./साई./स्कू./कार/टैक्सी/पा.स्टैण्ड/अशोकनगर/सेकेण्ड एन्ट्री/2021,

दिनांक:-29.10.2021

अशोकनगर स्टेशन पर सेकेण्ड एन्ट्री प्लेटफार्म क्रमांक 02 की ओर साई./स्कू./कार/टैक्सी पार्किंग स्टैण्ड का लाइसेंस आवंटन हेतु कोटेशन आमंत्रित करने बाबत।

भारत के राष्ट्रपति की ओर से कार्य करते हुये मंडल रेल प्रबंधक(वाणिज्य)पश्चिम मध्य रेल, भोपाल द्वारा भोपाल मंडल के अशोकनगर स्टेशन पर सेकेण्ड एन्ट्री प्लेटफार्म क्रमांक 02 की ओर साई./स्कू./कार/टैक्सी पार्किंग स्टैण्ड हेतु खुली पार्किंग तीन माह के लिए आवंटित करने हेतु मुहरबंद कोटेशन सूचना आमंत्रित की जाती है। कोटेशन निम्नानुसार कार्यालय में रखी निविदा पेटी में डाले जायेगे तथा निम्नानुसार दिनांक को समय 15.15 बजे कोटेशन सूचना खोली जायेगी इसका आरक्षित मूल्य एक माह व तीन माह के लिये निम्नानुसार निर्धारित हैं :-

क्र.	स्टेशन का नाम	कोटेशन डालने का समय व दिनांक	कोटेशन खुलने की दिनांक व समय	एक माह हेतु आरक्षित मूल्य	तीन माह हेतु आरक्षित मूल्य	बयाना राशि	जगह वर्गमीटर
1	अशोकनगर स्टेशन सेकेण्ड एन्ट्री प्लेटफार्म क्रमांक 02 की ओर	08.11.2021 को 11.00 बजे से 15.00 बजे तक	08.11.2021 को 15.15 बजे	` 4967/-	` 14901/-	` 746/-	साई./स्कू./कार/टैक्सी हेतु कुल 900 वर्गमीटर

कोटेशन में एक माह के लिये लायसेंस फीस का प्रस्ताव देना अनिवार्य है। प्रस्तावित लायसेंस फीस पर 18% जी.एस.टी. व 2% टी.सी.एस. नियमानुसार जमा करना होगा यदि कोई और टैक्स भी सरकार की ओर से लगाया जाता है तो वह भी देना होगा। रेलवे कोई भी नियम व शर्त घटा/बढ़ा सकती है, जो कि कोटेशनदाता को अनिवार्य तौर पर मान्य होगी। यह कोटेशन सूचना <http://www.wcr.indian railways.gov.in> पर उपलब्ध है। इस कोटेशन सूचना को बिना कारण बताएँ रेलवे कभी भी निरस्त कर सकती है। कोटेशन के दिनांक को यदि कोई अवकाश घोषित हो जाता है तो यह अगले कार्य दिवस को किया जावेगा।

कृते मण्डल रेल प्रबंधक(वाणिज्य)/भोपाल.

प्रतिलिपि: मंडल रेल प्रबंधक, पमरे. भोपाल को सादर सूचनार्थ।

---“---: स्टेशन प्रबंधक, अशोकनगर कृपया संलग्न कुटेशन सूचना को स्टेशन नोटिस बोर्ड पर चिपकाते हुये इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कराये।

---“---: मंडल वाणिज्य निरीक्षक, बीना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कृते मण्डल रेल प्रबंधक(वाणिज्य)/भोपाल.



संख्या—वा./भो./साई./स्कू./कार/टैक्सी/पा.स्टैण्ड/अशोकनगर/सेकेण्ड एन्ट्री/2021,

दिनांक:

कोटेशन फार्म

विषय:— साई./स्कू./कार/टैक्सी पार्किंग स्टैण्ड स्टेशन -----

क्र			
1	आवेदक का नाम	::	_____
2	पिता का नाम	::	_____
3	पता वर्तमान एवं स्थाई	::	_____ _____ _____
4	ऑफरदाता द्वारा तीन माह की लायसेंस फीस	::	✓ _____
5	ऑफरदाता द्वारा एक माह की लायसेंस फीस	::	✓ _____
6	बयाना राशि का विवरण	::	✓ _____
7	प्रस्तुत प्रपत्रों का विवरण	::	1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____

घोषणा

मैं यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि कोटेशन सूचना की सभी शर्तें पढ़कर व समझली गई है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि कोई भी जानकारी असत्य या गलत पाई जाती है तो रेल प्रशासन को कोटेशन सूचना निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। इस संबंध में मैं कोटेशनदाता कोई आपत्ति दर्ज नहीं कर सकेगा ना ही उसका कोई दावा मान्य होगा।

कोटेशनदाता के हस्ताक्षर :-

कोटेशनदाता का नाम :-

कोटेशनदाता का नम्बर :-



क्रमांक:संख्या-वा./भो./साई./स्कू./कार/टैक्सी/पा.स्टैण्ड/अशोकनगर/सेकेण्ड एन्ट्री/21,

दिनांक:-29.10.2021

नियम व शर्तें

1. सफल कोटेशन दाता को वाहन मालिकों से निम्न प्रकार से पार्किंग दरें लेने की अनुमति होगी :-

क	अवधि	साईकिल	स्कूटर/मो टर साईकिल	पार्किंग रेट प्रतिवाहन कार/टैक्सी
1	12 घंटे या भाग के लिये	02	05	रु 10/-
2	24 घंटे या भाग के लिये	04	10	रु 20/-
3	मंथली एम.एस.टी. होल्डल	40	100	-
4	मंथली रेल्वे	20	50	-
5	मंथली जी.आर.पी./ज्युडीसिएल	30	75	-

2. राज्य एवं केन्द्र सरकार के सभी शासकीय वाहन व रेल्वे के सभी शासकीय वाहन निशुल्क रखे जायेंगे।
3. प्रत्येक कोटेशनदाता '746/-(सात सौ छियालिस मात्र) की बयाना राशि के लिए एफडीआर/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो कि वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर के नाम एवं उन्हीं के नाम देय, किसी राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल बैंक से बनी मूल रूप से कोटेशन फार्म के साथ लगाना अनिवार्य है।
4. यदि नकद राशि जमा की जाती है तो वह मंडल कैशियर कार्यालय भोपाल में जमा कर कोटेशन के साथ रसीद संलग्न करना अनिवार्य है, जो कि कार्यवाही सम्पूर्ण होने के उपरान्त वापिस की जा सकती है व ठेका आवंटन के उपरांत नियम व शर्तों के पालन न करने की अवस्था में आवंटन निरस्त होने पर बयाना राशि जब्त की जा सकती है।
6. सफल कोटेशनदाता को 1½ माह की लायसेंस फीस के बराबर की राशि की बैंक गारंटी बतौर सुरक्षा राशि कम परफोर्मेंस गारंटी के लिये लाइसेंस आवंटन के समय देनी होगी साथ ही प्रत्येक माह की एडवांस लायसेंस फीस जमा करनी होगी।
7. कोटेशनदाता को कोटेशन के साथ अपना पास पोर्ट साइज फोटो राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करा कर देना होगा व चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस अधीक्षक या थाना प्रभारी से जारी एवं परिचय पत्र, निवास प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
8. प्रस्ताव में दी गयी प्रत्येक माह की लाइसेंसफीस पर 18% की दर से GST देना होगा। साथ ही इस ठेके की पूर्ण राशि पर 2% टी.सी.एस. एवं अन्य टैक्स भी देय होंगे।
9. कोई भी शिकायत या अन्य कारण से रेल्वे को ठेका निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं इस पर लायसेंस को कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

कृते मण्डल रेल प्रबंधक(वाणिज्य)/भोपाल.